न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारी : पुष्पेन्द्रसिंह शेखावत, आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 02/2019

दायर दिनांक–10.04.2019
निर्णय दिनांक–30.07.2019

श्री लक्ष्मण पिता खातरा आमलिया जाति आमलिया निवासी गडा गोकल वगैराह (7) तहसील सीमलवाडा जिला डूंगरपुर

.....प्रार्थी

बनाम

श्री नाथू पिता जीवण आमलिया जाति आमलिया वगैराह (8) निवासी गडा गोकल तहसील सीमलवाडा

....विपक्षीगण

प्रार्थना–पत्र अर्न्तगत
राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन)
नियम, 1970 के नियम 14(4) के तहत
–

उपस्थित :–

1. श्री प्रवीण शुक्ला अभिभाषक वास्ते प्रार्थी
2. श्री अमृतलाल पंचाल, अभिभाषक वास्ते विपक्षीगण

आदेश

इस प्रकरण के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि मौजा गडा गोकल के आराजी नंबर 43 रकबा चार बीघा, दस बिस्वा मे से रकबा एक बीघा, दस बिस्वा भूमि अप्रार्थी नाथू के पिता जीवण पिता मनजी मीणा निवासी गडा गोकल को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा द्वारा जरिये मिसल नंबर 7523/77 के द्वारा गैर खातेदारी हक पर दिनांक 26.11.1977 को आवंटन की गयी थी। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण ने अपना कब्जा काश्त एवं उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के मकान बने हुए होना बताते हुए अप्रार्थीगण के पिता जीवण को उक्त आवंटित भूमि का आंवटन आदेश दिनांक 26.11.1977 को निरस्त करने हेतु यह प्रकरण प्रार्थीगण की ओर से पेश किया गया है।

प्रकरण इस न्यायालय मे पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को वास्ते जवाबदेही हेतु जरिये नोटिस के तलब किया गये। अप्रार्थीगण ने इस न्यायालय मे उपस्थित होकर जवाब पेश करते

हुए बताया है कि गांव गडा गोकल के आराजी नंबर 43 रकबा चार बीघा, दस बिस्वा भूमि मे से एक बीघा, दस बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के पिता जीवण को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा मौके की जांच कराकर नियमानुसार आवंटन की गयी है। तब से काबिज होकर आवंटन शर्तो की पालना करते हुए काश्त करते आ रहे है एवं इसी के आधार पर उक्त भूमि के खातेदारी हक भी प्राप्त हो चुके है। उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण के कोई मकान, कुँआ आदि नही है। आवंटन के समय से ही विपक्षीगण काबिज है। वर्तमान मे जमीन की कीमत बढ़ जाने से प्रार्थीगण जमीन पर कब्जा करने का षडयंत्र कर रहे है प्रार्थीगण का इस जमीन से कोई संबंध नही है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज करने का आदेश फरमावें।

वकील प्रार्थीगण की ओर से मौका रिपोर्ट तलब कराने हेतु प्रार्थना पत्र पेश करने पर उक्त विवादित भूमि तहसीलदार सीमलवाडा से मौका रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार के द्वारा मौके की जांच कर मौका रिपोर्ट जरिये पत्र क्रमांक 539/राजस्व दिनांक 22.07.2019 के द्वारा भिजवाई गई।

पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात एवं तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया एवं बहस उपभपक्षों के समायत की गई।

विद्वान वकील प्रार्थीगण की अपनी ओर से बहस मे बताया है कि उक्त आवंटित भूमि पर प्रार्थीगण का वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है एवं अप्रार्थीगण द्वारा उक्त कब्जेशुदा भूमि पर प्रार्थीगण को हटाने का प्रयास किया जा रहा है। उक्त आवंटित भूमि पर न तो उनके पिता के द्वारा एवं न ही अप्रार्थीगण के द्वारा अब तक कब्जा प्राप्त नही किया है। प्रार्थीगण का ही उक्त भूमि पर कब्जा काश्त अब तक चला आ रहा है। मौका रिपोर्ट के अनुसार भी उक्त भूमि पर कब्जा काश्त प्रार्थीगण का ही होना बताया गया है। आवंटन के पश्चात अप्रार्थीगण एवं उनके पिता के द्वारा आवंटन नियमों की शर्तो की पालना नही गई है। अतः अप्रार्थीगण के पिता जीवण के नाम से आवंटित भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1977 को निरस्त करने का आदेश पारित किया जावें।

विद्वान वकील अप्रार्थीगण ने अपनी ओर से बहस के दौरान बताया है कि अप्रार्थीगण के पिता एवं अप्रार्थीगण का उक्त आवंटित भूमि पर आवंटन के समय से लगातार कब्जा काश्त चलता आ रहा है अप्रार्थीगण द्वारा आवंटन नियमों की शर्तो की पालना करने से उक्त आवंटित भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है। प्रार्थीगण का उक्त भूमि पर कब्जा काश्त नही है अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुए अप्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटित भूमि का आवंटन आदेश दिनांक 26.11.1977 को यथावत रखने का आदेश पारित किया जावें।

पत्रावली का एवं तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट दिनांक 22.07.2019 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करने पर एवं उभय पक्षों की ओर से बहस मे दी गयी दलीलो पर गौर से मनन करने पर यह निष्कर्ष निकलता है कि मौजा गडा गोकल की आराजी नंबर 43 रकबा चार बीघा, दस बिस्वा भूमि मे से रकबा एक बीघा, दस बिस्वा भूमि अप्रार्थीगण के पिता जीवण को दिनांक 26.11.1977 को आवंटन की गयी भूमि का तहसीलदार सीमलवाडा के द्वारा मौके की जांच दोनो पक्षो के एवं गांव के मोतबिरान की उपस्थिति मे कराई जाकर मौका रिपोर्ट जरिये पत्र कमांक राजस्व/539 दिनांक 22.07.2019 को भिजवाई गयी।

मौका रिपोर्ट के अनुसार उक्त आवंटित भूमि एक बीघा, मे से दस बिस्वा भूमि पर विपक्षी का कब्जा काश्त होकर इसमे मक्का की फसल बोयी हुई है एवं शेष एक बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होकर उसमे प्रार्थीगण की ओर से मक्का की फसल बोयी हुई है। दोनों पक्षों मे कब्जे के संबंध मे कोई विवाद नही है।

अप्रार्थीगण के पिता के नाम से आवंटित भूमि रकबा एक बीघा भूमि मे से मात्र दस बिस्वा भूमि पर ही अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है एवं शेष एक बीघा भूमि पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है इससे यह स्पष्ट हो जाता है उक्त आवंटित भूमि मे से अप्रार्थीगण का सिर्फ दस बिस्वा भूमि पर ही कब्जा काश्त है यानि मौके पर एक बीघा भूमि पर अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त नही है जिसकी पुष्टि तहसीलदार सीमलवाडा से प्राप्त मौका रिपोर्ट से जो जाती है एवं अप्रार्थीगण स्वयं ने इस बात को स्वीकार करते हुए मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न मौका

पर्चा दिनांक 19.07.2019 पर अपने हस्ताक्षर किये गये है। ऐसी स्थिति मे आवंटी द्वारा आवंटन नियमों की पालना नही करते हुए कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन नियम, 1970 के नियम 14(3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए मौजा गडा गोकल की मूल आराजी नंबर 43 का आवंटित भाग आराजी नंबर 1457/43 मे से रकबा एक बीघा, दस बिस्वा भूमि आप्रार्थीगण के पिता जीवण पिता मनजी मीणा निवासी गडा गोकल को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा जरिये मिसल नंबर 7523/77 के द्वारा गैर खातेदारी हक पर दिनांक 26.11.1977 को आवंटन की गई भूमि मे से रकबा एक बीघा भूमि का आवंटन कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत निरस्त करने एवं शेष रकबा दस बिस्वा भूमि को यथावत रखने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सीमलवाडा उक्त आवंटित रकबा मे से एक बीघा भूमि जो मौका रिपोर्ट मे ए,बी,सी,डी,ई,एफ, दर्शाई गयी है को अपने कब्जे मे लेकर बिलानाम सरकार राजस्व रेकार्ड मे दर्ज करेगें। आदेशानुसार पालना करते हुए निर्णय की प्रति तहसीलदार सीमलवाडा को भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 30.07.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया। पत्रावली फैसल मे शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

30.7.19

(पुष्पेन्द्रसिंह शेखावत)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर